

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत


उपखण्ड अधिकारी
गोपीलाल

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम जीरमल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 141/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>9.4.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोपीलाल S/O. किरमलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>किशनलाल जी शाहज</u></p> <p>निवासी- <u>नगरी, बरकली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>नगरी</u> <u>प.ए. नगरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1321, 1330</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>0.07</u> है० की पत्थरगडो करण जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नगरी (प.ए. नगरी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1321, 1330</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>0.07</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रूपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (सि.न. देवन) सहायक कमिश्नर एव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>